

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क./बी-6/नियमन/इंदौर/25 पार्ट/150

भोपाल,दिनांक 23/01/2016

प्रति,

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
इंदौर


विषय— प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये प्रभावशील उपविधि सन् 2000 के प्रावधानों का कड़ाई से लागू कराने के संबंध में।

सन्दर्भ:— मंडी बोर्ड, मुख्यालय का आदेश क्रमांक/बी-6/ई-अनुज्ञा/419/4619 दिनांक 25.08.2015

इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ की मांग अनुसार आदेश दिनांक 25.8.2015 से प्रारूप 9 (अ) एवं 9 (ब) के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने पर विचार हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन दिनांक 14.12.15 पर विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मंडी बोर्ड, मुख्यालय के द्वारा पूर्व जारी आदेश क्रमांक/बी-6/नियमन/उप/संशोधन/2009/2536 दिनांक 18.12.2009 में निर्धारित प्रक्रिया/व्यवस्था को ही निरंतर रखा जाना संस्था के हित में होगा।

अतः इस कार्यालय के आदेश दिनांक 18.12.2009 के निर्देश का पालना सुनिश्चित किया जाये।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)


संयुक्त संचालक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क./बी-6/नियमन/इंदौर/25 पार्ट/151

भोपाल,दिनांक 23/01/2016

प्रतिलिपि :-

1 अपर/संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर एवं रीवा की ओर प्रेषित कर लेख है कि आपके आंचल की मंडी समितियों में उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाये।


संयुक्त संचालक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल